न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 37/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
संतोषसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी जालनियासर तहसील जायल।		1उम्मेदसिंह 2रतनसिंह 3किशोरसिंह 4रणवीरसिंह पुत्रान मगनसिंह 5मु. सोनकंवर पत्नि स्व. मगनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण जालनियासर तहसील जायल। 6इन्द्रसिंह पुत्र मुकनसिंह 7करणसिंह 8पूनमसिंह पुत्रान शेरसिंह 9मु. पुष्पाकंवर पत्नि स्व. शेरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण जालनियासर तहसील जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गंगासिंह कालवी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भगवान सिंह राठौड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 16.01.2018

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा बंटवाडा आदेश दिनांक 16.12.2004 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.03.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु को विचाराधीन रखते हुए दिनांक 07.04.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपने अपील के समर्थन में नकल निर्णय दिनांक 16.12.04 की फोटोप्रति, नकल बेचान खातेदारी, नकल खतौनी संवत 2069–72, नकल गिरदावरी पेश की है। रेस्पोडेन्ट्स की ओर श्री भगवान सिंह राठौड अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस शुरू करते हुए अपनी अपील व मियाद प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि–

{2}(I)–उक्त विभाजन आदेश का ज्ञान अपीलांट को नही हुआ, क्योकि उसका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चल रहा था व अब भी चल रहा है। अपीलांट फौज में नौकरी करता है। अभी जब छुट्टी पर पिछले दिनों था। तब गांव में अफवाह सुनी कि ये लोग इस भूमि को बेचान करने की बात कर रहे है। ग्राहक ढूंढ रहे है तब इनसे बात की तो इनका रूख बिल्कुल भिन्न था तथा ये लोग इस भूमि पर अपीलांट के अधिकार को इंकार करते है तब अपीलांट ने पता किया तो उसे पता चला कि इस प्रकार इन लोगो ने इस भूमि का विभाजन कर लिया है तो दिनांक 02.03.16 को विभाजन के आदेश की नकल के लिये आवेदन किया व नकल उसे उसी दिन मिल गई। इसलिये इस आदेश दिनांक 16.12.04 की जानकारी दिनांक 02.03.16 को नकल लेने पर ही हुई सो अपील अब सलाह मशविरा व कानूनी सलाह लेकर की गई है। इसकी मियाद 02.03.16 से शुमार किया जाना न्याय संगत है।

{2}(II)–अपीलांट ने यह भूमि दिनांक 12.05.72 को जेठूसिंह से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा लिखापढी बेचाननामा की गई केवल पंजीयन तकनीकी कारणों से नही हो सका था। तब से आज तक इस भूमि पर रेस्पोडन्टान व जेठूसिंह की जानकारी में खुला अपीलांट का कब्जा है तथा इस अवधि को करीब 45 वर्ष हो गये है। बेचानकर्ता या उसके मार्फत कोई अगर हक अपना बतावे तो वे अधिकार उनके समाप्त हो गये है। अब वे कब्जा प्राप्त करने के लिये दावा नही कर सकते तथा न अब तक कोई कार्यवाही की है। सो उनके अधिकार इस भूमि पर उनके अधिकार भी समाप्त हो गये है तथा धारा 27 मियाद कानून से अपीलांट इस भूमि

अपर कलक्टर, नागौर

का खातेदार भी हो गया है। इसलिये विभाजन का आदेश इस हद तक निष्प्रभावी है तथा अपीलांट के विरूद्व बेअसर है।

{2}(III)–सभी पक्षो के इस बेचान की जानकारी थी व है इसलिये विभाजन से उन्हे इस भूमि को अलग रखना चाहिये था। मगर ऐसा न करके रेस्पोडेन्टान ने तथ्यों को छिपाया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी अंधेरे में रखा है। सो आदेश अदालत को धोखा देने की तारीफ में भी आता है।

{2}(IV)–विभाजन करने से पहले नायब तहसीलदार का यह कर्तव्य था कि इस संबंध में कोई साक्ष्य लेते कि भौतिक रूप से विभाजन मौके पर हुआ है या नही या खुद के स्तर पर जांच करते कि विभाजन प्रभावी भौतिक रूप से मौके पर है या नही। पटवारी की भी रिपोर्ट ले सकते थे, ऐसा करते तो उन्हे इस बेचान व भौतिक कब्जे का पता चल जाता व विभाजन नही किया जा सकता था। इसलिये आदेश गलत है व बिना आधार के निष्प्रभावी है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 528 से 530 नजीर पेश की है।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। उक्त आदेश व मौके पर कब्जा काश्त की अपीलांट को शुरू से ही जानकारी रहती चली आई है। अब 12 वर्षो बाद यह अपील पेश की है। जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है व मियाद में शुमार करने हेतु कोई माकूल व पर्याप्त कारण भी नही दर्शाये है। इसलिये अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने योग्य नही है तथा आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विभाजन आदेश का ज्ञान अपीलांट को नही हुआ तथा उसका शांतिपूर्वक कब्जा रहने का कथन सही नही है। कालान्तर में रेस्पोडेन्टस ने उनकी खातेदारी व कब्जासुद भूमियों का भौतिक बंटवाडा विधि सम्मत तरीके से किया है और माफिक बंट अलग अलग कब्जा काश्त निरंतर निर्बाध रूप से रहता चला आया है। अपीलांट का उक्त विवादित भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा न आज दिन है। अपीलांट अपने पक्ष में बेचान की लिखापढी होना कथन कर रहा है। यदि अपीलांट को ऐसा बेचान कथित तारीख 12.5.72 को किया जाता तो उसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होता व खतौनी में म्यूटेशन होकर अपीलांट का नाम दर्ज होता व अपीलांट पिछले 40–45 सालो तक चुप नही रहता जरूर अपनी खातेदारी हेतु कोई चाराजोरी करता जो उसने नही की है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट जो कि रेस्पोडेन्टस से अदावती रखता है तथा नाजायज तंग परेशान करने की नियत से झूठे अभिवचन दर्ज करते हुए व फर्जी लिखापढी तैयार कर उसके आधार पर अपील पेश की है। जबकि अपीलांट का वादग्रस्त खसरान के किसी भी भूभाग से कोई सरोकार नही है। इसलिये अपीलांट को उक्त भूमियो के संबंध में अपील व आवेदन पेश करने का ही अधिकार नही है। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि तथाकथित बेचान रजिस्टर्ड नही होने से वो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य भी नही है तथा अपने कथन के समर्थन में हमारा ध्यान रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की ओर दिलाया तथा AIR Supreme Court on CD-ROM 1950-2007 Page 1154 नजीर प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट रिकार्डेड खातेदार है तथा उन्होने आपसी सहमति से बंटवाडा किया है। जिसमें कोई हस्तक्षेप नही किया जा सकता है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011(2) पेज 1262 से 1264, आरआरटी 2014(2) पेज 1301 से 1303, आरआरटी 2011–12(Supp.) पेज 217 से 219 नजीरे पेश की है। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा यह भी बताया गया कि आराजी भूमि को लेकर अपीलांट संतोषसिंह द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) जायल में घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संतोषसिंह बनाम उम्मेदसिंह प्रस्तुत किया गया जो अभी विचाराधीन है। नियमित न्यायालय में वाद लम्बित है तथा घोषणा खातेदारी का अंतिम रूप से निर्णय उसी न्यायालय से होना है तो इस आधार पर भी अपील चलने योग्य नही है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम जालनियासर के खसरा नं. 82 व 87 की भूमि का राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत नायब तहसीलदार के द्वारा बंटवाडा आदेश दिनांक 16.12.04 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 14.03.16 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 12 वर्ष पश्चात

अपर कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 12 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहे हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर